

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली

फा.सं. 20-1, 2023 (कॉलेजियम)-स्था।

दिनांक: 13 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एम्स, नई दिल्ली में नर्सिंग कॉलेज हेतु कॉलेजियम सिस्टम को निरस्त करने संबंधी।

दिनांक 27 सितंबर, 2023 की अधिसूचना के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि नर्सिंग कॉलेज हेतु निम्नलिखित सदस्यों के संयोजन से एक कॉलेजियम गठित किया जाएगा।

1. आचार्य एवं प्रधानाचार्य - श्रीमती लता वेंकटेशन
- श्रीमती शशि मावर
- सुश्री सिबी राजू
- सुश्री अदिति पी. सिन्हा
- सुश्री उज्ज्वल दहिया

सक्षम प्राधिकारी को नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कॉलेज में स्थायी प्रधानाचार्य हैं अतः यहां रोटेटिंग कॉलेजियम सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। यह भी देखा गया है कि पीजीआई, चंडीगढ़ में एक अलग नर्सिंग महाविद्यालय है परन्तु वहां कॉलेजियम सिस्टम नहीं है।

तदनुसार, पिछली अधिसूचना को संशोधित किया जाता है तथा नर्सिंग कॉलेज हेतु कोई कॉलेजियम नहीं बनाया जाएगा।

इसे निदेशक महोदय, एम्स के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बी.एस.गिल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

आचार्य एवं प्रधानाचार्य

नर्सिंग महाविद्यालय, एम्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-1. सभी केंद्र प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण

2. निदेशक के निजी सचिव /अपर निदेशक (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव

3. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) के निजी सचिव

4. कुलसचिव, एम्स

5. प्रभारी-आचार्य कंप्यूटर सुविधा- इस अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित करने हेतु एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI – 29

No. F. 20-1/2023(Collegium) – Estt. I

Dated the:-

OFFICE MEMORANDUM

13 FEB 2024

Subject: Withdrawal of Collegium System for College of Nursing at the AIIMS, New Delhi.


Reference notification dated September 27, 2023, stating that there will be a collegium for the College of Nursing with the following composition:-

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Professor – cum – Principal | - | Mrs. Latha Venkatesan |
| | - | Mrs. Shashi Mawar |
| | - | Ms. Sibi Raju |
| | - | Ms. Aditi P. Sinha |
| | - | Ms. Ujjwal Dahiya |

The Competent Authority has received a representation from the Principal of the College of Nursing stating that the college has a permanent Principal and therefore does not require a rotating collegium system. It was also noted that PGI, Chandigarh, with a separate College of Nursing, does not have a collegium system.

Accordingly, the earlier notification stands modified to an extent that there will be no collegium for the College of Nursing.

This issues with the approval of the Director, AIIMS.


(B. S. GILL)
SR. ADMN. OFFICER

The Professor-Cum-Principal,
College of Nursing, AIIMS, New Delhi.

- Copy to:-
1. All Chief of Centres/Head of the Departments
 2. PS to Director/PPS to AD (A)
 3. PS to Dean (Academic/Research/Examination)
 4. Registrar, AIIMS.
 5. PIC Computer Facility – with the request to upload this notification on AIIMS, website for wide circulation.